

प्रेषक,

आशीष तिवारी
विशेष सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

✓ मुख्य वन संरक्षक (केन्द्रीय)

भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
क्षेत्रीय कार्यालय, केन्द्रीय भवन
पंचम तल सेक्टर एच, अलीगंज विस्तार
लखनऊ।

वन एवं वन्य जीव अनुभाग-2

लखनऊ, दिनांक १० अगस्त 2017

विषय:-

मिर्जापुर में उ०प्र० पावर ट्रासमिशन कार्पोरेशन लि० द्वारा 132 के०वी० जिगना दादर कला पारेशण लाइन के निर्माण हेतु 6.5475 हेतु आरक्षित हेतु आरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 02 वृक्षों के पातन की अनुमति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी के पत्र संख्या-2701/11-सी/एफपी/यूपी/ट्रांस/24154/2017, दिनांक-22-6-2017 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मिर्जापुर में उ०प्र० पावर ट्रासमिशन कार्पोरेशन लि० द्वारा 132 के०वी० जिगना दादर कला पारेशण लाइन के निर्माण हेतु 6.5475 हेतु आरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 02 वृक्षों के पातन की अनुमति का प्रस्ताव अपने स्तर से परीक्षण करने के उपरान्त शासन को उपलब्ध कराया गया है। प्रस्ताव के अनुसार उक्त प्रयोजन हेतु मांगी गयी वनभूमि न्यूनतम है और इसके अतिरिक्त अन्य कोई वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है। चूंकि प्रश्नगत कार्य जनहित में किया जा रहा है, अतएव प्रश्नगत वनभूमि को गैर वानिकी प्रयोग के लिये दिये जाने में विभाग को कोई आपत्ति नहीं है। नोडल अधिकारी द्वारा प्रस्तुत उक्त प्रस्ताव से शासन सहमत हैं।

2— अतएव उक्त प्रस्ताव मूल रूप में (एक प्रति) संलग्न कर प्रेषित करते हुये मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के प्राविधानों के अन्तर्गत स्वीकृति प्रदान करने का कष्ट करें।

संलग्नक:- यथोपरि।

भवदीय,

५१०
(आशीष तिवारी)
विशेष सचिव

संख्या-पी 82 (1) / 14-2-2017-तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1— मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ०प्र०, लखनऊ।
- 2— मुख्य वन संरक्षक, मिर्जापुर क्षेत्र मिर्जापुर।
- 3— जिलाधिकारी, मिर्जापुर।
- 4— प्रभागीय वनाधिकारी मिर्जापुर वन प्रभाग, मिर्जापुर।
- 5— अधिकारी अभियंता, विद्युत प्रेशण खण्ड, उ०प्र० पावर ट्रासमिशन कार्पोरेशन लि० पथरहिया रोड मिर्जापुर।
- 6— निजी सचिव, प्रमुख सचिव, वन एवं वन्यजीव विभाग, उ०प्र० शासन।
- 6— गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

भूपेन्द्र बहादुर सिंह
अनु सचिव।